न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
108 /2021	1.9.2021	5.4.22

उनवान

1. अशोक कुमार
2. दिनेश कुमार पुत्रान सीताराम पुत्र बैया
3. वीरमति पुत्री सीताराम पुत्र श्री बैया
4. कृष्णा देवी पत्नी सीताराम पुत्र बैया
5. ताराचन्द
6. लालाराम
7. दाताराम पुत्रान बैया
8. मिश्रों
9. बसंती
10. भोली पुत्रीयान बैया
11. रोहिताश
12. सिंगराम
13. किशन
14. कैलाश
15. लक्खीराम पुत्रान सूडू
16. दुर्गा
17. कमला
18. सरती
19. शीला पुत्रीयान सूडू
20. अमीलाल
21. राजपाल पुत्रान हरभजन
22. चन्द्रो पत्नी हरभजन
23. सतीश पुत्र लीलाराम
24. प्रेम पुत्री लीलाराम
25. घासीराम पुत्र झूँथाराम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

26.हरदयाल पुत्र झूँथाराम जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम जटियाणा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. जेठामल पुत्र गन्नूमल
2. छब्बल पुत्र उधवदास जाति खत्री निवासीयान ग्राम नंगलीमेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
3. उप—पंजियक, किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, किशनगढबास तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—1. वादी की ओर से भगत सिंह चौधरी
2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 293 रकबा 0.25हे0, (1—0), व ख0न 295 रकबा 0.55 हे0 में से 0.07 हे0(05 बिस्वा) वाके ग्राम नंगली मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर में वादीगण को खरीददार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की मदालखत पैदा ना करें, ना जब्रन बेंदखल करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। खर्चा फैरीकेन अपना—अपना वहन करेगें। सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0
108 /2021

दायर दिनांक
1.9.2021

निर्णय दिनांक
5.4.22

उनवान

1. अशोक कुमार
2. दिनेश कुमार पुत्रान सीताराम पुत्र बैया
3. वीरमति पुत्री सीताराम पुत्र श्री बैया
4. कृष्णा देवी पत्नी सीताराम पुत्र बैया
5. ताराचन्द
6. लालाराम
7. दाताराम पुत्रान बैया
8. मिश्रों
9. बसंती
10. भोली पुत्रीयान बैया
11. रोहिताश
12. सिंगराम
13. किशन
14. कैलाश
15. लक्खीराम पुत्रान सूडू
16. दुर्गा
17. कमला
18. सरती
19. शीला पुत्रीयान सूडू
20. अमीलाल
21. राजपाल पुत्रान हरभजन
22. चन्द्रो पत्नी हरभजन
23. सतीश पुत्र लीलाराम
24. प्रेम पुत्री लीलाराम
25. घासीराम पुत्र झूँथाराम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगबास (अलवर)

26.हरदयाल पुत्र झूँथाराम जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम जटियाणा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. जेठामल पुत्र गन्नूमल
2. छब्बल पुत्र उधवदास जाति खत्री निवासीयान ग्राम नंगलीमेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
3. उप—पंजियक, किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, किशनगढबास तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

यह है कि आराजी साबिक खसरा नं0 216 मिन रकबा 1—05 बीघा जिसका हाल खसरा नं0 293/0.2500 हे0 (1—00बीघा) व हाल खसरा संख्या 295/0.5500 हे0 (2—03 बीघा) में इस साबिक खसरा नं0 का 0.07 हे0 (05 बिस्वा) शामिल किया है । मिलान क्षेत्रफल संलग्न वादपत्र है।

आराजीयात हाल खसरा नं0 293/0.2500, 295/0.5500 है0 वाके ग्राम नंगली मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है। आराजी हाल खसरा नं0 293/0.2500 सम्पूर्ण व आराजी हाल खसरा नं0 295/0.5500 हे0 में से 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा उक्त वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल तहरीरी बैयनामा दिनांकित 28.6.1968, नकल रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 29.6.1968, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 व हाल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 तक संलग्न वादपत्र है।

उक्त साबिक खसरा नं0 216 मिन 1—05 बीघा को मिन वादीगण संख्या 1 लगा0 3 के दादाजी व वादिया संख्या 4 के ससुर व मिन वादीगण संख्या 5 लगा0 10 के पिताजी बैया पुत्र श्री कल्लू ने 1/3 भाग, मिन वादीगण संख्या 11 लगा 19 के पिताजी सूडू पुत्र श्री कल्लू ने 1/3 भाग व मिन वादीगण संख्या 20 व 21 के पिताजी व मिन वादिया संख्या 22 के पति हरभजन पुत्र श्री झूँथा ने व मिन वादीगण संख्या 23 व 24 के पिताजी श्री लीला उर्फ लीलाराम ने व मिन वादी संख्या 25 व 26 ने 1/3 भाग ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से समस्त प्रतिफल की राशि अदाकर बाजाप्ता बाकब्जा के तहरीरी बैयनामा दिनांकित 28.6.1968 के द्वारा खरीद किया हुआ है। जो तहरीरी बैयनामा तत्कालीन उप—पंजीयक, किशनगढबास ने दिनांक 29.6.1968 को पुस्तक नं0 1 जिल्द संख्या 30, पृष्ठ संख्या 185—186 क्रम संख्या 490 पर पंजिबद्ध किया है। उक्त बैयनामा द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण बैया पुत्र श्री झूथाराम जाति गुर्जर ग्राम जटियाणा ने अपने पक्ष में दर्ज व स्वीकार कराने हेतु उक्त आराजी को खरीदने के तुरन्त बाद ही तत्कालीन हल्का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पटवारी को उक्त असल बैयनामा दे दिया था। कुछ दिनों बाद ही तत्कालीन हल्का पटवारी को उक्त असल बैयनामा इनको यह कहकर वापिस लौटा दिया कि उक्त बैयनामा के आधार पर खरीद की हुई उक्त आराजी का नामान्तरकरण तुम्हारे पक्ष में दर्ज व स्वीकार कर दिया गया है। मिन वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के दादाजी व वादिया संख्या 4 के ससुर व मिन वादीगण संख्या 5 लगा 10 के पिताजी बैया पुत्र श्री कल्लू, मिन वादीगण संख्या 11 लगायत 19 के पिताजी सूडू पुत्र श्री कल्लू व मिन वादीगण संख्या 20 व 21 के पिताजी व मिन वादिया संख्या 22 के पति हरभजन पुत्र श्री झूँथा व मिन वादीगण संख्या 23 व 24 के पिताजी श्री लीला उर्फ लीलाराम व मिन वादी संख्या 25 व 26 ग्रामीण परिवेश के अनपढ सीधे–साधे किसान व कानून कायदो का ज्ञान नही होने के कारण उन्होने तत्कालीन हल्का पटवारी की इस बात पर विश्वास कर लिया । उक्त बैयनामा से उक्त खरीदशुदा आराजी पर वक्त खरीद के दिन से ही मिन वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के दादाजी व वादिया संख्या 4 के ससुर व मिन वादीगण संख्या 5 लगा 10 के पिताजी बैया पुत्र श्री कल्लू, मिन वादीगण संख्या 11 लगायत 19 के पिताजी सूडू पुत्र श्री कल्लू व मिन वादीगण संख्या 20 व 21 के पिताजी व मिन वादिया संख्या 22 के पति हरभजन पुत्र श्री झूँथा व मिन वादीगण संख्या 23 व 24 के पिताजी श्री लीला उर्फ लीलाराम व मिन वादी संख्या 25 व 26 काबिज व दखिल होकर काश्त करते रहे। बैया, सूडू, हरभजन, लीला की फौतगी के बाद मिन वादीगण संख्या 1 लगायत 24 उनके जायज व विधिक वारिसान उनके फुटस्टेप पर काबिज व दखिल होकर व मिन वादीगण संख्या 25 व 26 भी उक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादीगणो का विवादित आराजी खसरा नं0 293 सम्पूर्ण पर व विवादित आराजी खसरा नं0 295 में से अपने 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा पर वास्तविक कब्जा काश्त है।

अ– डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल खसरा नं0 293/0.2500 हे0 सम्पूर्ण से व आराजी हाल खसरा नं0 295/0.5500 हे0 वाके ग्राम नंगली मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में से वादीगणो के हक हिस्से की 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा तक प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 2 का नाम जमाबंदी सम्वत् 2029 से ता हाल जमाबंदी तक में से कलमजन किया जाकर उक्त लिखतम बैयनामा दिनांकित 28.6.1968, रजिस्टर्ड बैयनामा संख्या 490 दिनांकित 29.6.1968 के अनुसार वादीगण संख्या 1 लगायत 4 को 1/21 भाग का व वादीगण संख्या 5 लगा 10 को 6/21 भाग का व वादीगण संख्या 11 लगा 19 को 1/3 भाग का व वादीगण संख्या 20 लगा 22 को 1/12 भाग का व वादीगण संख्या 23 व 24 को 1/12 भाग का व वादी संख्या 25 को 1/12 भाग का व वादी संख्या 26 को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर वादीगणों के नाम का अमल दरामद राजस्व रिकोर्डस में किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

ब– डिक्री इजराय हुक्मईम्तनाईदवामी पारित कि जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नं0 293/0.2500 हे0 सम्पूर्ण को व खसरा नं0 295/0.5500 हे0 में से 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही वादीगणो के हक हिस्से के कब्जा काश्त में मजामहत व मदाखलत पैदा करे, ना ही जबरन बेदखल करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे व प्रतिवादी सं0 3, आराजी खसरा नं0 293 सम्पूर्ण की व आराजी खसरा नं0 295 में से 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक नही करें।

स– हर्जा–खर्चा मुकदमा का वादीगणों को प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 2 से दिलवाया जावे।

द– अन्य दीगर दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे वादीगणों को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही । उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने बतोर साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, यादराम पीडब्लू–2, अशोक कुमार पीडब्लू–3 के ब्यान कराये है । तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029, प्रदर्श –2 जमांबदी संवत 2029, प्रदर्श– बयनमा दिनांक 28.6.68 की छाया प्रति, एवं मौका रिपोर्ट कब्जा काश्त पेश की गई ।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि साबिक खसरा नु0 216 मिन रकबा 1–05 बिस्वा जिसका हाल ख0न0 293 रकबा 0.2500 हे0–1–00 व हाल खसरा 295 /0.55 हे0(2–03 बिस्वा) में से 0.07 हे0 यानि 05 बिस्वा आराजी वादीगण ने दिनांकर 29.6.1968 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सं0 490 दिनंका 29.6.1968 के द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से खदीद की गई थी जिसका लेकिन खरीदशुद्वा आराजी का अमल वादीगण के नाम नही आया। विवादित आराजी वादीगण के दादा, पिता, व ससुर के द्वारा खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की आराजी है। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे।

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से मिलान क्षेत्रफल सवत 2029 के अनुसार हाल खसरा नं0 293 रकबा 1 बीघा तथा 155 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके साबिक ख0न0 216 मिन रकबा 1 बीघा, व 216 मिन के रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिर्काड है। जमाबंदी संवत 2029 मे जेठामल व छबलमल प्रतिवादीगण (बेंचानकर्ता) का नाम दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा आराजी विवादित को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से वादीगण को दिनांक 29.6.1968 के द्वारा बेंचान कर दिया था। लेकिन वादीगण के नाम इंतकाल दर्ज नही हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पाया । गवाहान ने भी मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त बताई है। तहसीलदार किशनगढबास से विवादित आराजी पर मौका कब्जा काश्त रिपोर्ट तलब की गई जिसमें भी वादीगण की कब्जा काश्त दर्ज है। अतः जर्ये रिजस्टर्ड बयनामा एवं मौका कब्जा काश्त के आधार पर वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता हैं। विधि का विधान भी यही कहता है।

अतः आदेश है किः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 293 रकबा 0.25हे0, (1—0), व ख0न 295 रकबा 0.55 हे0 में से 0.07 हे0(05 बिस्वा) वाके ग्राम नंगली मेवान तहसील किशनगढबास जिला अलवर में वादीगण को खरीददार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का नाम वादीगण के हिस्से तक कलमजन किया जाता है। प्रतिवादीगण को इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की मदालखत पैदा ना करें, ना जब्रन बेंदखल करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फैरीकेन अपना—अपना वहन करेगें। सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)